RAJYA SABHA

Friday, the 9th May, 1997/ 19 Vaisakha, 1919 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** *in the Chair.*

श्रीमती कमला सिन्हा: मैडम, मुझे एक दरखास्त करनी थी आपसे और आपके माध्यम से हमारी सरकार को भी।

उपसभापति: जी, बोलिए।

श्रीमती कमला सिन्हा: मैडम, इस देश को तो तरह तरह के मच्छरों ने चूसना शुरू ही किया हर इलाके में, लेकिन यहां सदन में हम बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर हो गया चारों तरफ। मैं कल गई लाइब्रेरी में पढ़ने, मुश्किल हो गया बैठना और यहां भी हर रोज मच्छर काटते हैं। इसका कोई ईलाज होगा या नहीं? दिल्ली शहर में डेंगू फीवर आ गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: पोलिटिकल कॉज है या नहीं?

श्रीमती कमला सिन्हा: हां, उसका भी इन्वेस्टीगेशन हो जाए, पोलिटिकल कॉज है या नहीं? स्कैम है या नहीं? हैल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्कैम है कि नहीं? इसके लिए आप एक कमेटी बैठा दीजिए, जांच कराइए, लेकिन उसके पहले तत्काल हम लोगों को इससे त्राण दिलाइए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know whether these mosquitoes were duly elected or not.

वही ड्यूली इलेक्टेड है, कि **बगैर** इलेक्शन के अंदर आ गए।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Whether they are elected or not, how can they intrude into the House?

SHRI SATISH AGARWAL: Madam, these mosquitoes were nominated by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think I will ask the Secretariat to look into it.

मेरे पांव में भी काटते हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा काटते हैं। ...(**व्यवधान**)...

†جناب محمد سلیم: جتنے آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنے زیادہ کاٹتے ہیں۔۔"مداخلت"۔۔

उपसभापति: सबसे ज्यादा मच्छर चेयर के पास हैं। Now, Question No. 481.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Super Bazar Duped of Rs. 65 Lakh on Wheat Deal

*481. SHRI JALALUDIN ANSARI:†
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "Super Bazar duped of Rs. 65 lakh on wheat deal" which appeared in the "Hindustan Times", dated 26th April, 1997;

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto;

(c) persons responsible to give the contract to a mill located outside Delhi, which is against the rules; and

(d) the action taken or proposed to be taken against them?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) In view of the rising prices of wheat and Atta in the open market during 1996-97, Government introduced a scheme in July, 1996 of releasing wheat

†[]Transliteration in Arabic script.
†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Jalaludin Ansari.

from Food Corporation of India to Super Bazar, Kendriya Bhandar and National Co-operative Consumers' Federation of India Ltd. (NCCF), to sell the resultant Atta at prices fixed by Government. According to Super Bazar, it was allotted 24,700 tonnes of wheat upto March, 1997. Of the several Mills engaged for this purpose by the Super Bazar, M/s Etawah Flour Mills, Etawah (UP) offered cheaper rate of conversion of wheat into Atta. The mill was allotted 2000 MT of wheat in March, 1997 by the Purchase Committee as per rules. The mill also deposited Rs. One Crore to FCI by Demand Draft and actually lifted 1149.5 tonnes of wheat.

M/s Etawah Flour Mills delivered some quantity of atta, though belatedly, but the same was not accepted by Super Bazar due to poor quality.

A team of officials of Super Bazar had visited Etawah Flour Mills in the last week of April, 1997 to go into the details and the reasons for non delivery of Atta and wheat lifted by the mill.

A notice has been served on M/s Etawah Flour Mills as to why the advance lying with FCI/Super Bazar should not be forfeited being the difference of amount between the FCI rates and market rates.

The Central Registrar of Cooperative Societies has been asked to conduct an Enquiry into the matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been brought to my notice that there are some questions which are related to wheat. We will put them together. तो जिनके नाम उसमें हैं, उनको उसके साथ में बुला लेंगे।

SHRI K.R. MALKANI: There are four Questions, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I know. We will discuss them together.

जी, सप्लीमेंटरी।

श्री जलालुद्दीन अंसारी: उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा नियम था, अपने उत्तर में इन्होंने बताया है कि दिल्ली में आटे की कमी और महंगाई के कारण भारतीय खाद्य निगम से सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड को गेहूं देने की एक स्कीम शुरू की गई थी ताकि नियमत मूल्यों पर आटे की बिक्री की जा सके, सही दाम पर। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले अगर यह नियम था कि दिल्ली के अंदर ही फ्लोर मिल्स को पिसाई के लिए गेहूं दिया जाए तो किन अधिकारियों ने इस नियम को तोड़ते हुए इटावा मिल्स को यह दिया, 24,700 टन गेहूं और उसने जो पीसकर दिया भी तो वह रद्दी आटा दिया, खाने लायक आटा नहीं दिया। इस संबंध में उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की जा रही है? मैं सबसे पहले इसी बात को जानना चाहूंगा और ऐसा क्यों किया गया, यह जानना चाहूंगा।

†जनाब जलालुद्दीन अंसारी: जनाब सभापति महोदया - मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम था - अपने जवाब में उन्होंने बताया है कि दिल्ली में आटे की कमी और महंगाई के कारण "भारतीय खाद्य निगम" से सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार और राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड को गेहूं देने की एक स्कीम शुरू की गई थी ताकि नियमत दामों पर आटे की बिक्री की जा सके - सही दाम पर - तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले अगर यह नियम था कि दिल्ली के अंदर ही फ्लोर मिल को पिसाई के लिए गेहूं दिया जाए तो किन अफसरों ने इन उसूलों को तोड़ते हुए इटावा मिल्स को यह दिया 24,700 टन गेहूं और उसने जो पीसकर दिया भी तो वह रद्दी आटा दिया - खाने लायक आटा नहीं दिया - इस सिलसिले में उनके खिलाफ कौनसी कार्रवाई

†[] Transliteration in Arabic Script.

کی جا رہی ہے - میں سب سے پہلے اسی بات کو جاننا چاہوں گا - اور ایسا کیوں کیا گیا یہ جاننا چاہوں گا -]

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदया, ऐसी बात है कि यह तो कोपेरेटिव है, मल्टी स्टेट कोपेरेटिव। आटा या दूसरा काम यह कहीं से भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रक्शन है इस पर, यह बात नहीं है और इसलिए इस तरह का रुख नहीं है। वैसे मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस करप्शन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमने, जैसा आपसे कहा कि, रजिस्ट्रार आफ कोपेरेटिव्स को इसकी जांच के लिए दे दिया है, जो एडीशनल इस संबंध में भी जांच करेंगे और आपने प्रिडर्स नोटिस दे दिया है केस करने के लिए उस पर। इसके अतिरिक्त हमने कल उनसे कहा है कि इसमें ब्रीच आफ ट्रस्ट का का केस बनता है या नहीं, यह लीगल ओपिनियन ले लें और उसके मुताबिक काम करें।

श्री जलालुदीन अंसारी: महोदया, मंत्री जी ने स्वीकारा है कि यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है और उन्होंने अभी कहा है कि उसकी जांच के लिए आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से मामले की जांच कराने के लिए भी कहा गया है। मेरा यह सुझाव होगा कि अगर यह मामला ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने ठेका उनको दिया, उनसे भी यह तलब किया जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने उस मिल को ठेका दिया, जिसने घटिया किसम का आटा दिया, वह भी पूरा नहीं दिया? इससे लगता ऐसा है कि इसके पीछे कुछ अधिकारियों और फ्लोर मिल के बीच कुछ गड़बड़ी का मामला निश्चित तौर पर है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

†[श्री जलालुद्दीन अंसारी: महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह "ब्रीच आफ ट्रस्ट" का केस बनता है और उन्होंने अभी कहा है कि इसकी जांच के लिए आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से मामले की जांच कराने के लिए भी कहा गया है। मेरा यह सुझाव होगा कि अगर यह मामला "ब्रीच आफ ट्रस्ट" का बनता है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने ठेका उनको दिया, उनसे भी यह तलब किया जाना चाहिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने उस मिल को ठेका दिया, जिसने घटिया किसम का आटा दिया, वह भी पूरा नहीं दिया? इससे लगता ऐसा है कि इसके पीछे कुछ अधिकारियों और फ्लोर मिल के बीच कुछ गड़बड़ी का मामला निश्चित तौर पर है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।]

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदया, मैंने पहले ही कहा है, अब यह तो हम नहीं कह देंगे कि कार्रवाई कर देंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी, वे दोषी साबित होंगे तो जरूर ही कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रार ऑफ दि ट्रेड यूनियन्स से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए हमने लीगल ओपीनियन मांगा है, ज्यों ही आ जाएगा, उसके मुताबिक काम करेंगे।

उपसभापति: एक्चुअली मैंने जो कलब भी की है, those Members are not present. Mr. Gurudas Das Gupta is not there. Dr. Y. Lakshmi Prasad is not there. Mr. Satish Pradhan is not there. Mr. Vayalar Ravi is

†[] Transliteration in Arabic Script.

not there. Mr. S.M. Krishna is not there. So, my clubbing them has not resulted fruitfully. Those questions have been clubbed and are being taken up...

SHRI G. SWAMINATHAN: That may be the reason why all the people are away.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सही कहा कि वे जांच कर रहे हैं और जांच के अनुकूल जो परिणाम आएगा, उस पर वे कदम उठाएंगे। हम लोग कहना यह चाहते हैं कि यह भोजन का मामला है, जन-स्वास्थ्य का मामला है और इसके ऊपर भी अगर कोई कालाबाजारी करता है या कोई मिलावट करता है तो केवल वही अपराधी नहीं है, जिस मिल में यह अपराध हुआ है, मैं मानता हूं कि वे लोग भी अपराधी हैं जिन्होंने उनका नाम सुझाया है। तो जिन्होंने उस मिल का नाम सुझाया है और इतने बड़े परिमाण में गेहूं वहां भेजा गया है, उन आदमियों की भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए और उनके संबंध में भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र: जांच-पड़ताल तो सभी चीज़ की होगी, लेकिन जो परिस्थिति थी वह यह थी कि दिल्ली के मिल-मालिक ज्यादा पैसा चाहते हैं—1.40 रुपया प्रति किलो आटा पिसने के लिए, जिस मिल को ठेका दिया गया है, उसने 1.25 रुपया आफर दिया। जब इस तरह की चीज़ होती है कि ज्यादा काम सरकार करने लगती है तो ट्रेड ऐसा रास्ता अख्तियार करता है जो जनता के हित में नहीं है। इसलिए हमने सदन को कई बार कहा है कि सरकार तो ट्रेड का फ्रेंडली है लेकिन ट्रेड सरकार का फ्रेंडली नहीं है। इस पर सदन सोचे तो कुछ आगे की कार्रवाई चले। लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं कि जो जांच हो, वह सर्वांगीण होनी चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वह दंडित होना चाहिए। अपराधी जब तक दंडित नहीं होगा, तब तक अपराध बढ़ते जाएंगे। अपराध अगर हुआ हो तो दंडित होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र: अभी अगर हम कह देंगे कि दंडित होगा तो कोर्ट कह देगा कि यह तो पहले ही तय कर लिए हैं। इसलिए हम तब कहेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी जांच हो जाएगी नहीं तो दूसरे लोग हमको पकड़ेंगे कि यह तो प्री डिटरमिंड है, जजमेंट।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: ठीक है, वह मैं मानता हूं।

श्री बंगारू लक्ष्मण: उपसभापति जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि मिलों को गेहूं देने के कारण मिल आटा बनाने के लिए चार्जिस बहुत लगा रही हैं, जिसका अल्टीमेटली कंज्यूमर पर भार पड़ रहा है। फिर कुछ ऐसे बल्क कंज्यूमर्स भी हैं, जैसे छोटे-छोटे बिस्कुट मेन्युफेक्चर्स हैं, बेकरी वाले हैं, ब्रैड मेन्युफेक्चर्स हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है और फूड कारपोरेशन ने या सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने भी उनको मिल से खरीद करने के लिए कहा है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा दाम देने पड़ते है और जितनी मात्रा में उन्हें सामान चाहिए होता है, वह मिल नहीं पा रहा है; क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि यह जो स्माल स्केल इंडस्ट्री में हमारी जो यह बेकरी या बिस्कुट जगैरह की इंडस्ट्री है, इनको फूड कारपोरेशन से सीधा दिया जा सके, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी? मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में बिस्कुट बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वहां ऐसी 5,000 यूनिट्स सारे प्रदेश में काम कर रही है और हजारों की संख्या में मजदूर उनमें काम कर रहे हैं। अब चूंकि मिल के द्वारा गेहूं लेने की बात है और मिल अपनी मरजी से बेचती है, इसलिए उनको गेहूं नहीं मिल रहा है और कई बिस्कुट फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। क्या सरकार इन बिस्कुट मैन्युफैक्चरर्स को एफ०सी०आई० के द्वारा कोटा देने का प्रबंध करेगी?

श्री चतुरानन मिश्र: उपसभापति महोदया, अगर कंक्रीटली मालूम हो कि किसको गेहूं नहीं मिल रहा है तो हम जो कोटा देते हैं आंध्र प्रदेश को, उसमें हम कहेंगे कि इनको भी दे दो। हम छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पक्ष में हैं लेकिन जब हम छोटे निर्माताओं को गेहूं पीसने के लिए देते हैं तो वे घुन भी पीस देते हैं। वैसे हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास गेहूं का स्टॉक है। आप आंध्र प्रदेश सरकार से उसकी रिक्विजिशन भिजवा दीजिए, हम उसको पूरा कर देंगे।

SHRI J. CHITRANJAN: Madam Chairperson, wheat is allotted to mills, super markets and other agencies. I want to know whether there is any permanent set-up to monitor as to how this wheat is utilised, whether there is any pilferage or it is diverted for some other purposes. The hon. Minister may kindly give information about that.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, we give it to the State Governments as per their quota. As far as taking up further monitoring is concerned, it is for the State Government to do it. Broadly, we look into the matter.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, 3 साल पहले उस वक्त की सरकार ने एक प्रोग्राम किया था मॉडर्न बेकरीज़ के थ्रू, ताकि सस्ते दाम में गरीब लोगों को ब्रैड मिल जाए। उसके पब्लिक फैक्शंस दिल्ली और बंबई में किए गए थे और उन्होंने यह मूवमेंट प्राइवेट बेकरीज़ तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अब यह मालूम हो रहा है कि उस सरकार ने जो यह स्कीम गरीबों के लिए चालू की थी, एफ०सी०आई० उनको गेहूं नहीं दे रहा है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रैड बनाते हैं, उनको गेहूं नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है, इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबों को उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कुछ डॉयरेक्शन दी है एफ०सी०आई० को कि गरीबों के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स ब्रैड बनाते हैं, उनको प्रॉयोरिटी पर गेहूं दिया जाए? क्या इस दिशा में कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? हमारी जानकारी यह है कि उनको गेहूं नहीं मिल रहा है। तो गरीबों के लिए सरकार की जो यह स्कीम थी, उसके बारे में यदि आप प्रकाश डालें तो देश के गरीबों को कुछ फायदा हो जाएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I wonder which bakeries make bread for the *garib*.

गरीब को तो सूखी रोटी नहीं मिलती है।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Madam, I would like to mention here that during the Prime Ministership of Shri, P.V. Narasimha Rao, out of two places in Delhi, I was present in one of the opening ceremonies in which bread was given at a very low price.

श्री एन०के०पी० साल्वे: मैडम् पाव तो खाते हैं बंबई में।

श्री चतुरानन मिश्र: एक तो उन्होंने एक खास कंपनी मॉडर्न बेकरीज के बारे में कहा, वह तो हम जांच करवा लेंगे तभी आपको कुछ बता सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। अगर ब्रैड बनाते हैं तो यह लिखा नहीं रहेगा कि गरीब ही खाएं। जिसको खाना है खाए। हम तो गेहूं दे देंगे उनके नाम पर और वह ब्रैड बनाएंगे।

श्री एन०के०पी० साल्वे: मंत्री महोदय की भाषा कुछ बदल रही है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: रईस की ब्रैड अलग होती है, छोटे लोगों की ब्रैड अलग होती है, पाव होती है।

श्री एन०के०पी० साल्वे: पाव होता है बंबई में, गरीब से गरीब आदमी उसको खाता है।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने कहा कि एक बार जब हम उनको गेहूं दे देंगे तो गरीब खाए या अमीर खाए, यह तो उनके हाथ में रहेगा। हम देखेंगे कि अगर उनको गेहूं नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या किया जाए।

Establishment of Village Libraries

*482. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of culture had a proposal to begin from *1995-96* for setting up of Village Libraries with basic educational facilities; and

(b) if so, the reason as to why the proposal did not become a reality and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHIRAM SAIKIA): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal for School-cum-Village Library Scheme was not approved by Minsitry of Finance, which advised the evaluation of the existing schemes to avoid duplication.

An indepth evaluation of the schemes was undertaken and the scheme modified in the light of the 73rd and 74th Amendment of the Constitution, whereby the Zila Parishad and the Panchayat Samities have been designated as the nodal agencies to offer library services at the rural level. Hence a scheme known as "the scheme of Financial Assistance for Setting up of Rural Libraries" has been